न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री परशुराम धानका, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 07/23 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2023/72

उनवान

1. पूरन पुत्र चिरंजी
2. कल्लन पुत्र चिरंजी
3. हट्टी पुत्र चिंरजी जाति माली निवासी नीमघटा मौहल्ला डीग तहसील डीग जिला भरतपुर(मृतक)
   - 3/1. इमरती पत्नि हट्टी जाति माली निवासी नीमघटा मौहल्ला कस्बा डीग तहसील डीग जिला भरतपुर।
   - 3/2. ओमप्रकाश पुत्र हट्टी
   - 3/3. हेमराज पुत्र हट्टी
   - 3/4. नन्दू पुत्र हट्टी
   - 3/5. गिर्राज पुत्र हट्टी
   - 3/6. राजेन्द्र पुत्र हट्टी
   - 3/7. कृष्णा पुत्री हट्टी

   } जाति माली निवासी नीमघटा मौहल्ला कस्बा डीग तहसील डीग जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. होरीलाल आयु 58 साल पुत्र मूला उर्फ मूलाराम जाति माली निवासी बंधागेट कस्बा डीग तहसील डीग जिला भरतपुर। (मृतक)
   - 1/1. राजू
   - 1/2. मुकेश
   - 1/3. सुगन
   - 1/4. रूपेन्द्र

   } पुत्रगण होरीलाल
   - 1/5. जमना पत्नि होरीलाल
2. राम सिंह आयु 55 साल
3. भगवान आयु 51 साल
4. भूरा आयु 43 साल

   } पुत्रगण मूला उर्फ मूलाराम
5. मल्ली आयु 80 साल पत्नि रामस्वरूप (मृतक)
6. छज्जू आयु 50 साल पुत्र स्व0 रामस्वरूप (मृतक)
   - 6/1. बैकुण्ठी पत्नि स्व0 छज्जू
   - 6/2. ताराचन्द

   }

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर

6/3. कल्लू पिसरान छज्जू जाति माली नि0 कस्बा डीग तहसील डीग।
6/4. धौरी
7. श्रीचन्द आयु 49 साल पुत्र रामस्वरूप
8. इमरती लाल आयु 45 साल पुत्र रामस्वरूप
9. ओमप्रकाश आयु 36 साल पुत्र रामस्वरूप
10. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील डीग।
11. शाखा प्रबन्धक महोदय भूमि विकास बैंक शाखा डीग।
12. शाखा प्रबन्धक महोदय पंजाब नेशनल बैंक शाखा डीग।
13. शाखा प्रबन्धक महोदय भरतपुर सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा डीग।
14. शाखा प्रबन्धक महोदय स्टेट बैंक आफ इण्डिया बैंक शाखा डीग।

..... रेस्पोंडेंट ।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर, डीग दिनांक 11.01.2022 प्र.संख्या 274/10 उनवानी पूरन व होरीलाल वगै0।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री ओमप्रकाश शर्मा उपस्थित।
2. वकील रेस्पोंडेंट श्री हरीकृष्ण शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक–28.06.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, डीग के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.01.2022 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी उभयपक्षकारान की शामिल कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। वर्तमान में उभयपक्षकारान में शामिल काश्त करने में आये दिन झगडा होता रहता है। उक्त आराजी का पारिवारिक बॅटवारा मनवट अनुसार हो चुका है। अतः विवादित आराजी का उभयपक्षकारान के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से प्राथमिक डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज0)

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यो को दौहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। अपीलाण्ट की ओर से दौराने दावा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 वाद पत्र की मद संख्या 06 के अभिवचनों के आधार पर वादपत्र की मद संख्या 13 अ में जो अनुतोष बाबत् कथन दर्ज किये थे उसमें वाद पत्र की मद संख्या 06 के अभिकथन अनुसार यह अनुतोष दर्ज कराने हेतु कि विवादित आराजी में से वाद पत्र की मद संख्या 06 में वर्णित आराजी खसरा नम्बरान को वादीगण अपीलाण्ट के हिस्से में रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कराते हुये हिस्सेनुसार विभाजन किया जावें। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित करने में भूल की है। यह है कि विवादित आराजी का पूर्व में पारिवारिक बॅटवारा हो चुका है एवं तभी से अपीलाण्ट विवादित आराजी पर कब्जा काश्त है। खसरा नम्बर 25 आबादी में है व खसरा नम्बर 946, 948, 950 में अपीलाण्ट के मकानात, बौरिंग व बाग बगीचे लगे हुये हैं। अतः प्रार्थना पत्र 6 नियम 17 मंजूर किया जाकर प्रकरण में तनकीयात कायम कर साक्ष्य के लिये प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया। मियाद के संबंध में उनका कथन है कि अपीलाण्ट अनपढ एवं गॉव के लोग हैं व उन्हें कानून की जानकारी कम है। अपने अभिभाषक से सम्पर्क करने पर उन्होनें अपीलाधीन आदेश की अपील करने की सलाह दी। तत्पश्चात् नकल आदि लेकर जानकारी की दिनांक से अपील मियाद अन्दर प्रस्तुत की गयी है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर डीएनजे 2009 पेज 223, 2015 पेज 995, आरआरटी 2012(2) पेज 1185 का उद्धरण पेश किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। अपीलाण्ट द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुयी देरी का कोई उचित कारण भी अंकित नहीं किया गया है। अतः अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है एवं मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। इसके अलावा उनका कथन है कि 6 नियम 17 का अपीलाण्ट ने माननीय राजस्व मण्डल में रिवीजन की गयी थी, जो खारिज हो चुकी है। अतः न्यायालय हाजा को उक्त प्रार्थना पत्र सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है। अपीलाण्ट ने अपने दावे में अंकित किया है कि विवादित आराजी में से अच्छी में अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा है। अपीलाण्ट विवादित आराजी का पूर्व में पारिवारिक बॅटवारा होना कथन करते हैं परन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य ना तो अधीनस्थ न्यायालय में एवं ना ही हस्तगत अपील में प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष के अभिभाषकगणों की सहमति के आधार पर ही प्राथमिक डिक्री पारित की है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2010(1) पेज 238, 2010(2) पेज 1073, एआईआर 1996 पेज 28, 1998 पेज 123 का उद्धरण पेश किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचार किया जाना अपेक्षित है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन

राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज0)

आदेश के विरूद्ध हस्तगत अपील इस न्यायालय में दिनांक 11.01.2022 को लगभग एक वर्ष एक माह की देरी से प्रस्तुत की गयी है। मियाद के संबंध में अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाण्ट ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं उन्हें इस प्रकार अपील करने का ज्ञान नहीं था। दिनांक 06.02.2023 को अपने वकील से सलाह लेने पर उन्होंनें अपीलाधीन आदेश की अपील करने की सलाह दी। तत्पश्चात् नकल आदि लेकर जानकारी की दिनांक से अपील मियाद अन्दर प्रस्तुत की गयी है। हमने मनन किया। न्यायालय का ध्येय पक्षकारो को न्याय उपलब्ध कराना है। अतः हम न्यायहित में तकनीकी बिन्दु पर वादकरण समाप्त करने के वजाय गुणावगुण पर निस्तारण वांछनीय समझते हैं। लिहाजा अपील प्रस्तुत होने में हुए विलम्ब पर उदार दृष्टि अपनाकर, क्षमा करते हुए अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की जाती है।

6. जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है। हम पाते हैं कि वादीगण/अपीलाण्ट ने अपने दावे की मद संख्या 06 में विवादित आराजी का लगभग 50 वर्ष पूर्व पारिवारिक बॅटवारा होना अंकित किया है एवं अपीलाण्ट ने इस बावत् अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र 06 नियम 17 भी प्रस्तुत किया गया था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। चूंकि अपीलाण्ट प्रार्थना पत्र 6 नियम 17 व दावा की मद संख्या 06 में अंकित विवादित आराजी पर अपने मकानात, बौरिंग, नौहरे व वगीचे लगा होना कथन करते हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वह प्रकरण में दावे एवं जवाव दावे के आधार पर तनकीयात कायम कर उभयपक्ष को उक्त तथ्य को सावित करने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य का अवसर देते। इस प्रकार सरसरी तौर पर प्रार्थना पत्र खारिज करना, न्यायसंगत नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम प्रकरण को पुनः विधिवत विचारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझतें हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, डीग के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.01.2022 अपास्त किये जाते हैं एवं प्रकरण पुनः उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये पुनः तनकीवार तार्किक निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.07.2023 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 28.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर